न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 80/2022

अनवान : –

1. अर्जुनसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी रातुसर तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–**असल अप्रार्थी**

2. उम्मेदसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
3. गुलाब सिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
4. गोपाल सिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
5. धमेन्द्रसिंह पुत्र भगवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
6. विरेन्द सिंह पुत्र भगवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी रातुसर तहसील नोहर।

–**तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 21/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि सायल व तरतीबी गैरसायलान स0 2 ता 6 की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 11/11 के खसरा न0 136/2 की 16.116 व खसरा न0 137 की 1.265है0 कुल 17.381है0 बारानी जिसमें सायल व तरतीबी गैरसायल स0 2 ता 4 प्रत्येंक 1/5 हिस्सा व तरतीबी गैरसायल स0 5 ता 6 प्रत्येंक का 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त रकबा का विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के वाद स0 51/1992 के निर्णय दिनांक 15.09.1993 दावा अनवान हनुमानसिंह बनाम पदमसिंह अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से निर्णित होकर मुताबिक पर्चाडिक्री इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना था [illegible] सहवन से मुताबिक पर्चाडिक्री संलग्न नजरीया नक्शा के अनुसार दर्ज नही [illegible] है [illegible] कि मुताबिक पर्चा डिक्री व संलग्न नजरीया नक्शा के अनुसार दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

उक्त भूमि में से खसरा न0 136/2 जिसमें [illegible]री दिशा की भुजा 210 [illegible] दक्षिण की भुजा 137 गटठा व पूर्व की भुजा 148 गटठा व पश्चिम की भुजा 128 गटठा दर्ज हो चुकी है जो कि मुताबिक पर्चाडिक्री उपखण्डाधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.09.1993 के अनुसार उत्तरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिशा की भुजा 169 गटठा, दक्षिण दिशा की भुजा 137 गटठा व पूर्व की भुजा 150 गटठा तथा पश्चिम दिशा की भुजा 160 गटठा दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में नक्शा की तरमीम गलत दर्ज होने के कारण सायल व तरतीबी गैरसायलान को भारी परेशानी हो रही है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में सायल खसरा न0 136/2 की नक्शा तरमीम मुताबिक पर्चाडिक्री उपखण्डाधिकारी नोहर संलग्न नजरीया नक्शा व रिपोर्ट पटवारी हल्का श्योरानी मय नजरीय नक्शा करवाने का अधिकारी है।

सायल ने गैरसायल स0 1 से कई बार निवेदन किया कि वे राजस्व रिकार्ड में नक्शा की तरमीम दुरस्त कर देवे तो गैरसायल स0 1 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में महावीरसिंह बनाम अर्जुनसिंह अनवानी वाद में न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2021 से रिकार्ड की यथास्थिति होना बताया तथा तरमीम दुरस्त करने से इन्कार कर दिया जबकि उक्त रकबा की तरमीम से कोई गलत असर नही पड़ेगा क्योंकि सायल के खसरा न0 136/2 में नक्शा की तरमीम की दुरूस्ती के पश्चात भी क्षेत्रफल 16.116है0 ही रहेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुताबिक पर्चाडिक्री उपखण्डाधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.09.1993 के अनुसार उत्तरी दिशा की भुजा 169 गटठा, दक्षिण दिशा की भुजा 137 गटठा व पूर्व की भुजा 150 गटठा तथा पश्चिम दिशा की भुजा 160 गटठा दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा अपने पत्रांक 870 दिनांक 27.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कि गई जिसमें अंकित किया की उक्त खसरा की तरमीम उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.09.1993 के आदेशानुसार न होकर सहवन से गलत दर्ज हुई है। उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.09.1993 के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में नक्शा की तरमीम गलत दर्ज होने के कारण सायल व तरतीबी गैरसायलान को भारी परेशानी हो रही है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में सायल खसरा न0 136/2 की नक्शा तरमीम मुताबिक पर्चाडिक्री उपखण्डाधिकारी नोहर संलग्न नजरीया नक्शा व रिपोर्ट पटवारी हल्का श्योरानी मय नजरीया नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सायल व तरतीबी गैरसायलान स0 2 ता 6 की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 11/11 के खसरा न0 136/2 की 16.116 व खसरा न0 137 की 1.265है0 कुल 17.381है0

Scanned with CamScanner

बारानी जिसमें सायल व तरतीबी गैरसायल स0 2 ता 4 प्रत्येंक 1/5 हिस्सा व तरतीबी गैरसायल स0 5 ता 6 प्रत्येंक का 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से खसरा न0 136/2 जिसमें उत्तरी दिशा की भुजा 210 गटठा दक्षिण की भुजा 137 गटठा व पूर्व की भुजा 148 गटठा व पश्चिम की भुजा 128 गटठा दर्ज हो चुकी है जबकि मुताबिक पर्चाडिक्री उपखण्डाधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.09.1993 के अनुसार उत्तरी दिशा की भुजा 169 गटठा, दक्षिण दिशा की भुजा 137 गटठा व पूर्व की भुजा 150 गटठा तथा पश्चिम दिशा की भुजा 160 गटठा दर्ज होनी चाहिए थी । तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी के उक्त खसरा की तरमीम उपखण्डाधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.09.1993 के अनुसार तरमीम दुरूस्त की अनुशंषा की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता स0 11/11 के खसरा न0 136/2 की 16.116 व खसरा न0 137 की 1.265है0 कुल 17.381है0 बारानी भूमि जिसमें सायल व तरतीबी गैरसायल स0 2 ता 4 प्रत्येंक 1/5 हिस्सा व तरतीबी गैरसायल स0 5 ता 6 का 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से खसरा न0 136/2 जिसमें उत्तरी दिशा की भुजा 210 गटठा दक्षिण की भुजा 137 गटठा व पूर्व की भुजा 148 गटठा व पश्चिम की भुजा 128 गटठा दर्ज है के स्थान पर मुताबिक तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार **उत्तरी दिशा की भुजा 169 गटठा, दक्षिण दिशा की भुजा 137 गटठा व पूर्व की भुजा 150 गटठा तथा पश्चिम दिशा की भुजा 160 गटठा दुरूस्त की जाती है।** राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हों। तहसीलदार नोहर के नजरीया नक्शा को निर्णय का भाग पढा जावें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हो एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner